राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	राहुल कावट बनाम विनोद शर्मा 1654/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.4.26	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/04/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
13.4.26	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादी/अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 597 व 598 रकबा 10 बीघा 10 बीम्बा, ग्राम भांकरोटा, तह. सांगानेर हेतु पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दौराने वाद वादी ने अधीनस्थ न्यायालय की अनुमति से संशोधित वाद-पत्र पेश कर राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-183 क तहत बेदखली का अतिरिक्त अनुतोप चाहा गया। वादी ने वादपत्र में आगे कथन किया है कि प्रतिवादीगणों ने अपने प्रभाव से बलपूर्वक दौराने दावा विवादित भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। अतः प्रतिवादीगण बहैसियत अतिक्रमणकारी काबिज है तथा वादी उनसे पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है तथा दौरा कब्जा मिलने तक लगान का 15 गुना बतौर हर्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादोत्तर पेश कर कथन किया कि वादी उक्त आराजी का पूर्व में खातेदार काश्तकार था, परन्तु वादी अब उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार नहीं है, वादी का विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। विवादित भूमि को वादी ने प्रतिवादी के लड़के जुगलकिशोर व प्रतिवादी संख्या 3 से बेचकर कब्जा दे दिया है इसलिए वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध को. . वाद- कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। जबावदावे के अतिरिक्त कथन में प्रतिवादी ने कथन किया कि वादी ने प्रतिवादी से 1 के पुत्र जुगलकिशोर एवं प्रतिवादी सं-3 को विवादित भूमि जरिए इकरारनामा बेचान कर दी थी। वादी ने यह वाद इस तथ्य को छुपाकर पेश किया है कि विवादित भूमि प्रतिवादी सं.-। एवं उसके लडके की कब्जेशुदा व क्रयशुदा भूमि है, इस प्रकार वादी का वाद गलत तथ्यों के आधार पर संविदा भंग कर पेश किया गया, जो काबिले ख़ारिज है। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय व डिक्री दिनांक 12/09/2025 पारित करते हुये वादी का वादी डिक्री कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	राहुल कावट बनाम विनोद शर्मा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1654/2025	

द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों को विस्तृत रूप से विवेचित कर तनकीवार विस्तृत निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय द्वारा मालिकाना हक़ को तय किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी होना जाहिर होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप से तथ्यों को विवेचित किया जाना स्पष्ट होता है। ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिसम्मत प्रतीत होने से उसमे कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक प्रतीत नही होता है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12/09/2025 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुने गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी • जयपुर •